राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

67वीं बैठक दिनांक 13 दिसम्बर, 2018

कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की **67वीं बैठक दिनांक 13 दिसम्बर, 2018** को श्री उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता तथा मुख्य अतिथि श्री प्रकाश पंत, माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड, की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में श्री अमित सिंह नेगी, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन, श्रीमती तारिका सिंह, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक, श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, नाबार्ड, श्री आलोक कुमार चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री अजीत ठाकुर, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक एवं शासकीय विभागों के उच्चाधिकारियों, समस्त बैंकों के नियंत्रक उपस्थित रहे।

बैठक में एजेण्डेवार विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रगति की समीक्षा एवं विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार किया गया :

वित्तीय समावेशन : बैंकिंग नेटवर्क एवं वित्तीय साक्षरता

बैंक रहित गाँव - 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना :

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एन.आई.सी. के सर्वे के आधार पर राज्य में 484 गाँवों को बैंक सुविधा से रहित बताया गया था, जिसमें से 62 गाँवों को अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर बी.सी. नियुक्त करने के लिए विभिन्न बैंकों को जिला स्तर पर आबंटित किया गया था। तत्पश्चात 22 गाँवों को पुन: विभिन्न कारणों (निरंक जनसंख्या / पलायन एवं फारेस्ट रेंज आदि) के आधार पर बी.सी. नियुक्त करने की सूची से डी.एल.आर.सी. की बैठक में अनुमोदन के उपरांत हटा दिया गया था। शेष सभी 40 गाँवों में बी.सी. के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा दी गयी थी। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सूची में 40 संतृप्त गाँवों के अतिरिक्त उपरोक्त 22 गाँवों में से 11 गाँव अभी सूची में से हटाए जाने लम्बित हैं। यद्यपि इन गाँवों के संदर्भ में जिलाधिकारी स्तर पर वांछित पुष्टि पत्र प्राप्त कर लिए गए थे, परंतु वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा पुन: निर्देशित किया गया था कि सभी 11 गाँवों (सूची संलग्न) को वित्तीय सेवाएं विभाग की सूची से हटाने के लिए वांछित अनुमोदन राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में लिया जाए। माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना / पुष्टि के आधार पर 11 गाँवों (सूची संलग्न) को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से इन गाँवों को हटाने का अनुमोदन कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त डी.एल.आर.सी. की बैठक में हटाए गए उपरोक्त सभी 22 गाँवों में से चम्पावत जिले में स्थित बनबसा रेंज, केनाल रेंज, बिनग्राड रेंज तथा नैनीताल जिले में शारदा रेंज, (वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सूची से पहले से बाहर हैं) के संदर्भ में माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि वे इन क्षेत्रों का पुन: सर्वे कर, जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के अनुरुप कार्यवाही करेंगे।

<u>बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (Business Correspondent)</u> :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बनाए गए रोडमैप के अनुरुप वर्तमान में 513 एस.एस.ए. में बी.सी. / सी.एस.पी. नियुक्त किए जाने लम्बित हैं। सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के 94 एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के 15 लम्बित एस.एस.ए. में बी.सी. नियुक्त किए जाने की समय सीमा पूछे जाने के, प्रति उत्तर में दोनों बैंकों द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 तक कार्य पूरा होना सूचित किया गया है। इसी अनुक्रम में भारतीय स्टेट बैंक के लम्बित 355 एस.एस.ए. के बारे में निर्देशित किया गया है कि इस कार्य को 31 दिसम्बर, 2018 तक पूरा किया जाए।

इस अनुक्रम में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि एस.एस.ए. में बी.सी. लगाए जाने के कार्य के लम्बित होने का मुख्य कारण बैंकों द्वारा दूरस्थ स्थानों पर बी.सी. का नहीं मिल पाना है, जिसके लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा नाबार्ड एवं ग्राम्य विकास विभाग को सहयोग हेतु सूची उपलब्ध करायी गयी थी, जिस पर कृत कार्यवाही अभी प्रतीक्षित है। इसी अनुक्रम में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि 31 दिसम्बर, 2018 तक 2329 स्थानों पर पोस्ट ऑफिस की शाखाओं द्वारा **Indian Postal Payment Bank** के रुप में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। यदि **Indian Postal Payment Bank** इन क्षेत्रों में कार्य करना आरम्भ कर देते हैं, तो इन स्थानों की सूची को आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में आगामी निर्देश हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>वी.-सैट</u> :

108 एस.एस.ए. में व़ी.-सैट की लम्बित स्थिति के संबंध में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि यद्यपि सितम्बर, 2018 त्रैमास में वी.-सैट लगाने में अच्छी प्रगति दर्ज हुई है परंतु बैंकों द्वारा वी.-सैट की स्थापना किया जाना अभी भी लम्बित है। इस पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि उनके लम्बित 78 वी.-सैट का मुख्य कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा वी.-सैट का उपलब्ध न कराया जाना है, जिसके लिए बैंक स्तर से आपूर्तिकर्ता को निरंतर आदेशित किया जा रहा है कि वे अविलम्ब लम्बित वी.-सैट की आपूर्ति बैंक को कराएं। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया तथा अन्य संबंधित बैंकों को भी सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि वे वी.-सैट लगाने के कार्य को दिसम्बर, 2018 तक पूरा करें।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे इस विषयक अंतिम समय सीमा 31 मार्च, 2019 तक वी.-सैट स्थापित कर लें तथा केपेक्स मॉडल के तहत 30 अप्रैल, 2019 तक एवं ओपेक्स मॉडल के तहत 30 अप्रैल, 2024 तक प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

<u>डिजीटल बैंकिंग - AADHAR PAY / BHIM / ATM / POS / VSAT / e-PAYMENT / INTERNET BANKING के माध्यम से लेन-देन को प्रोत्साहित करना</u> :

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन ने डिजीटल बैंकिंग ट्रान्जेक्शन की समीक्षा करते हुए प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही अपेक्षा की गयी कि डिजीटल लेन-देन की राशि को और अधिक बढ़ाए जाने के लिए सभी बैंकों द्वारा प्रयास किए जाएं।

<u>डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी.बी.टी.) - आधार सीडिंग व वित्तीय समावेशन</u> :

अपर सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि उत्तराखंड के मनरेगा कर्मियों को Aadhar Based Payment System में लिंक किए जाने हेतु कुछ कामगार NPCI के स्तर पर लम्बित हैं, जिस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि लम्बित प्रकरणों के लिए NPCI को इस विषय में शासन स्तर से पत्र लिखा जाना अपेक्षित होगा। शासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वे भी अपने स्तर से NPCI को इस विषयक अवगत कराएंगे।

<u>वित्तीय साक्षरता कैम्प द्वारा जागरुकता</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड ने ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता कैम्प के लक्ष्य के सापेक्ष कम संख्या में कैम्प आयोजित किए जाने पर बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया कि वे दिसम्बर, 2018 त्रैमास तक कुल 3600 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करना सुनिश्चित करें, जिससे कि डी.बी.टी. / डिजीटल ट्रान्जेक्शन एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियाँ जनसाधारण तक पहुँच सकें।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन हेतु नाबार्ड से प्रति शिविर रु. 2000/- दिए जाने का प्रावधान है। अत: बैंक उनकी शाखाओं द्वारा आयोजित किए गए कैम्प पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नाबार्ड से कार्यवाही करें।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड ने समस्त बैंक नियंत्रकों को कहा है कि वे जिले की प्रत्येक ग्रामीण बैंक शाखाओं द्वारा प्रतिमाह एक वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन सुनिश्चित कराते हुए इसकी रिर्पोटिंग राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को करेंगे।

<u>सामाजिक सुरक्षा योजना :</u>

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत अटल पेंशन योजना की प्रगति के संदर्भ में निर्देशित किया गया कि सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु सभी शाखाएं एफ.एल.सी. के माध्यम से अधिकाधिक व्यक्तियों को योजना का लाभ उठाने हेतु जागरुक करने का प्रयास करेंगे।

<u>वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि</u>

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्वितीय त्रैमास हेतु निर्धारित मानक 40% के सापेक्ष 41% की overall प्रगति दर्ज करने पर संतोष व्यक्त किया गया है। साथ ही कृषि सावधि ऋण पर भारतीय स्टेट बैंक तथा सहकारी बैंक की कम प्रगति का कारण पूछा गया। इस पर उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का वित्तपोषण किया जाना प्रक्रियाधीन है एवं कुछ मदों में वित्तपोषण की रिपोर्टिंग नही हो पायी थी। सहकारी बैंक द्वारा सावधि ऋण में कमी का कारण सहकारी समितियों द्वारा अपेक्षाकृत कम संख्या में ऋण वितरण होना तथा सहकारी समितियों का चुनाव होना बताया गया है। कम प्रगति वाले सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे दिसम्बर, 2018 तक अपेक्षित प्रगति दर्ज करेंगे।

उद्यान तथा कृषि विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि Uttarakhand Investors' Summit में उद्यान एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों हेतु विभिन्न एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए हैं, जिस पर माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा विभागों को निर्देशित किया गया कि वे इनवेस्टर्स की सूची बैंकों को उपलब्ध कराएं एवं बैंकों से इनका वित्तपोषण कराने में सहयोग करें, जिससे राज्य में कृषि क्षेत्र में अपेक्षित ऋण वितरण की प्रगति दर्ज की जा सके एवं राज्य के कृषक लाभान्वित होने के साथ-साथ राज्य की आर्थिकी में भी सुधार हो सके।

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा कृषि सेक्टर के अंतर्गत सावधि ऋण की प्रगति कम होने के कारणों का अनुश्रवण करने हेतु नाबार्ड को निर्देशित किया गया है। मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि कृषि से संबंधित अनुषंगी गतिविधियों **(Allied Activities)** जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, फ्लोरीकल्चर एवं हार्टिकल्चर आदि के लिए अधिकाधिक सावधि ऋण वितरित किए जाने की प्रबल संभावना है। सहायक महाप्रंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा बताया गया कि सभी जिलों के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा Area Development Scheme के तहत उपरोक्त में से डेयरी, मत्स्य पालन एवं पॉल्ट्री के लिए जो योजना अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं बैंकों को उपलब्ध करायी गयी है वह मात्र रु. 92.78 करोड़ की है, जो कि कृषि क्षेत्र के सावधि ऋण के वार्षिक लक्ष्य रु. 3643.46 करोड़ के सापेक्ष अपर्याप्त है।

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड ने पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बडौदा एवं यस बैंकों द्वारा सावधि ऋण में उनके द्वारा की गयी अच्छी प्रगति में अपनायी गयी रणनीति के संबंध में जानना चाहा, जिस पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा राइस मिल, कृषि यंत्रों एवं ट्रेक्टर आदि बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऋण वितरित किया गया हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अवगत कराया कि उन्होंने फूड प्रोसेसिंग, हार्टिकल्चर जैसी बड़ी इकाईयों को ऋण वितरित किया हैं। यस बैंक ने अवगत कराया कि डेयरी प्रोजेक्ट एवं कृषि प्रोजेक्ट हेतु अधिक संख्या में ऋण वितरित किए गए हैं। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा यस बैंकों से कृषि सावधि ऋण की प्रगति, गतिविधियों के अनुरुप राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड द्वारा कृषि एवं उद्यान विभागों को निर्देशित किया गया है कि कृषि ऋण के लिए विस्तृत कार्ययोजना बैंकों को उपलब्ध कराएं, जिससे कि कृषि क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति दर्ज की जा सके।

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन :</u>

अध्यक्ष महोदय द्वारा 1182 लक्ष्य के विरुद्ध 529 ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति पर बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे लम्बित 495 ऋण आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण करने के साथ-साथ अधिक से अधिक संख्या में ऋण वितरित करें, जिससे शहरी क्षेत्र में योजना का लाभ सभी पात्र आवेदकों को प्राप्त हो सके। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड ने शासन से अनुरोध किया कि सभी सरकारी ऋण योजनाओं हेतु ऑन-लाइन पोर्टल बनाया जाए, जिससे प्रगति की रिपोर्टिंग / निगरानी की जा सके।

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u> :

योजनांतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति दर्ज किए जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया था, जिस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड ने अवगत कराया गया कि बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभाग द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह, बैंकों से ऋण लेने हेतु संपर्क नहीं कर रहे हैं तथा गठित समूहों में से अधिकतर समूह ऋण लेने के इच्छुक नहीं होते हैं। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा राज्य में कार्यरत 40 बैंकों के सापेक्ष मात्र 18 बैंकों की शाखाओं को ही वार्षिक लक्ष्य 4319 के सापेक्ष 1721 ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए गए हैं, जिनमें से 751 आवेदकों को ऋण स्वीकृत कर दिया गया है। इसी अनुक्रम में पिछले वर्ष के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 1511 की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए, अध्यक्ष महोदय से वर्तमान वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य को संशोधित कर कम करने का अनुरोध किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है वे इच्छुक स्वयं सहायता समूह के आवेदन पत्रों की पूर्णत: जाँच करने के उपरांत ही योग्य / पात्र ऋण आवेदन पत्र बैंकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने अपर सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन को निर्देशित किया कि आगामी त्रैमास में लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र रेखीय विभाग द्वारा बैंकों को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं सहायता समूह के खाते खोलने से संबंधित चेक लिस्ट संबंधित विभाग को उपलब्ध करायें, जिससे कि समूहों के बैंक खाते सुगमतापूर्वक खोले जा सकें।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा विभाग से योजनांतर्गत प्रगति की निगरानी हेतु एक वेबपोर्टल शीघ्र बनाने को कहा गया है, जिससे प्रगति की रिपोर्टिंग / निगरानी की जा सके। विभाग द्वारा आगामी एक सप्ताह में वेबपोर्टल बनाने का आश्वासन दिया गया है। बैंक

नियंत्रकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्राप्त तथा लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा</u> (MUDRA) **<u>ऋण योजना</u>**

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड एवं मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत की गयी प्रगति रु. 906.07 करोड़, की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए।

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> :

निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदान वितरण के लक्ष्य रु. 29.75 करोड़ के सापेक्ष अद्यतन स्थिति के अनुरुप रु. 23.72 करोड़ की मार्जिन मनी वितरित हो चुकी है। निदेशक, उद्योग द्वारा बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे उनके स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों को वितरित करते हुए मार्जिन मनी का दावा कर लें, जिससे मार्जिन मनी लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति करते हुए केंद्र सरकार से और अधिक मार्जिन मनी राज्य को आबंटित करने का प्रस्ताव भेजा जा सके।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन ने प्रगति की समीक्षा करते हुए योजनांतर्गत अधिक संख्या में ऋण आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का कारण जानना चाहा, जिस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया है कि इसका मुख्य कारण आवेदकों द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दर्शाए गए प्रोजेक्ट स्थल पर पहले से ही उसी प्रकार / प्रकृति की इकाइयाँ कार्यरत होती हैं, जिससे उनका प्रोजेक्ट आर्थिक रुप से व्यवहार्य नहीं पाया जाता है। इसी अनुक्रम में माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया कि वे बैंकयोग्य प्रोजेक्ट बनाने हेतु आवेदक का मार्गदर्शन एवं सहयोग करें।

<u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> :

योजनांतर्गत 400 लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 162 ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जाने को अध्यक्ष महोदय द्वारा गम्भीरता पूर्वक लिया गया। इस पर पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि गैर-वाहन में कम संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इस पर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने विभाग को निर्देशित किया कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

<u>दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना</u> (पर्यटन विभाग)

संयूक्त निदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजनांतर्गत अभी तक 734 आवेदन पत्र पंजीकृत हो चुके हैं तथा संशोधित नियमावली अतिशीघ्र ही जारी कर दी जाएगी, जिसे बैंकों को ऋण वितरण की कार्यवाही करने हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा।

<u>स्टैण्ड अप इण्डिया :</u>

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत कम ऋणों की स्वीकृति का कारण जानना चाहा, जिस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य में कार्यरत 2351 शाखाओं में से 1131 शाखाएं पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं तथा योजनांतर्गत ऋण सीमा अधिक होना (रु. 10 लाख से रु. 1 करोड़ तक) एवं महिला / अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवेदक की उपलब्धता कम होना है।

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से अपेक्षा की गयी है कि क्षेत्र विशेष की संभाव्यता के आधार पर संभावित इकाइयों का पूर्ण विवरण बैंकों को उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हे वित्तपोषित किया जा सके।

<u>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</u> :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा उक्त योजनान्तर्गत लक्ष्य 2013 के सापेक्ष 1050 ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जाने पर विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया, इस पर अपर सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिसम्बर माह के अन्त तक शत प्रतिशत ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रषित कर दिये जायेंगे।

<u>शिक्षा ऋण स्वीकृति की प्रगति</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा शिक्षा ऋणों की प्रगति एवम एन.पी.ए. की स्थिति पर संतोष ब्यक्त किया गया।

<u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई ऋण</u> :

सभी बैंकों द्वारा एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत सितम्बर, 2018 त्रैमास में **₹ 6102.48 करोड़** लक्ष्य के सापेक्ष **₹ 3220.43 करोड़** के ऋण वितरित किए गए, जो कि लक्ष्य का **53 %** था, पर संतोष ब्यक्त किया गया। साथ ही बैंकों से अपेक्षा की गयी कि सेवा क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, इस क्षेत्र में अधिकाधिक ऋण वितरण के प्रयास किए जाएं। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई ऋण वितरण हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों में संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों और बैंकों के सहयोग से **MSME 100 Days Campaign** चलाया जा रहा है, जिसमें एम.एस.एम.ई. में विभिन्न प्रकार के ऋण वितरित किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा 1250 रुग्ण इकाइयों का विषय सदन में उठाया गया, जिस पर उनसे आग्रह किया गया कि वे ऐसे सभी इकाइयों की शाखावार / बैंकवार सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं, जिससे संबंधित बैंकों को उनकी अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जा सके।

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme)</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ऋणों की प्रगति 2000 के सापेक्ष 1092 पर संतोष ब्यक्त किया गया। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया है कि नये निर्देशानुसार वर्तमान में सभी आवेदन पत्र जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी द्वारा बैंकों को प्रेषित किए जाने का प्रावधान है। अत: आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में स्पेशल टॉस्क फोर्स कमेटी द्वारा प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों पर ही सदन में चर्चा की जानी यथोचित होगी। पूर्व में निकायों द्वारा बैंकों को सीधे प्रेषित आवेदन पत्रों में आवास निर्माण हेतु भूमि विषयक विसंगतियाँ पायी गयी थीं, जिसके कारण प्राप्त आवेदन पत्रों को बैंकों द्वारा निरस्त / वापिस किया गया है।

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा बीमित कृषकों के अन्तर के बावत कृषि विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गन्ना तथा माइनर क्राप बीमित फसलों की सूची के अन्तर्गत अधिसूचित नही है। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा विभाग से अनुरोध किया गया कि फसल बीमा से संबंधित अधिसूचना फसली सीजन शुरु होने से पूर्व तथा कम से कम 1 साल के लिए जारी किया जाए, क्योंकि विलम्ब से अधिसूचना जारी होने के कारण बैंकों को आवश्यक औपचारिकताएं / कार्यवाही पूरी करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। इस पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बीमा कम्पनी का चयन टेन्डर आधारित होता है, जो कि डाटा उपलब्ध होने के पश्चात ही संभव है। इसी अनुक्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया था कि वे आगामी खरीफ / रबी फसलों हेतु समय से बीमा अधिसूचना जारी करना सुनिश्चित करें।

<u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u>

अध्यक्ष महोदय द्वारा रेखीय विभाग / नाबार्ड / समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे आपसी समन्वय से कृषि से संबंधित अनुषंगी गतिविधियों (Allied Activities) यथा डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, मत्स्य पालन आदि हेतु अधिक से अधिक कृषकों को ऋण उपलब्ध कराएं। साथ ही सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा नाबार्ड को निर्देशित किया गया है कि किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से उनका विभाग बैंकों से समन्वय करते हुए कार्य करे।

विशेषकर उन बैंकों को जिन्होंने सावधि ऋण / स्वयं सहायता समूह को लक्ष्य के सापेक्ष कम वित्तपोषण किया है, को निर्देशित किया गया है कि वे कार्ययोजना बनाकर दिसम्बर, 2018 त्रैमास में 65% लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंक विभिन्न मदों में स्वीकृत / प्रदत्त ऋण की सही एवं वास्तविक आँकड़े ही ऑन-लाइन फीड करेंगे।

ऋण-जमा अनुपात

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य का ऋण-जमा अनुपात 58% होने पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया है कि जिन जिलों का ऋण-जमा अनुपात 40% से कम है, वे मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण-जमा अनुपात उप-समिति में विभिन्न रेखीय विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से विशेषकर अर्ध शहरी क्षेत्रों में संभाव्यता के आधार पर नए क्षेत्रों / मदों में ऋण वितरण हेतु उपयुक्त कार्ययोजना बनाकर, उसे क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें तथा विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण कराएं। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि माह के अंत में विभागीय खातों में धनराशि जमा होने के कारण भी ऋण-जमा अनुपात तुलनात्मक रुप से घट जाता है एवं माह के प्रारम्भ में धनराशि आहरित कर ली जाती है।

गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एन.पी.ए.)

जून, 2018 त्रैमास के कुल एन.पी.ए. **198548** व राशि ₹ **3417.36 करोड़** के सापेक्ष सितम्बर, 2018 त्रैमास में **5.43%** से घटकर **5.08%** पर संतोष प्रकट किया गया।

मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट 2016

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 66वीं बैठक, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 (जून, 2018 त्रैमास) में रखे गए एजेण्डा के अनुसार मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट के लिए शासन स्तर से सूचना प्रतीक्षित है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)

आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर सितम्बर, 2018 तक व्यय की गयी लम्बित राशि रु. 115.03 लाख की प्रतिपूर्ति संबंधित आरसेटी संस्थान को करने हेतु सम्बन्धित विभाग से अनुरोध है।

शासन द्वारा आरसेटी संस्थान देहरादून, के भवन निर्माण हेतु पूर्व आबंटित / चयनित भूमि के स्थान पर नयी भूमि का आबंटन किया जाना प्रतीक्षित है।

बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना :

विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शेष **2** तहसीलों (नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर / ख्यान्सु, जिला नैनीताल) में ऑन-लाइन भूमि अभिलेखों पर प्रभार अंकित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य की सभी 109 तहसीलों में ऑन-लाइन भू-लेख सॉफ्टवेयर संचालित हो गया है।

<u>श्री प्रकाश पंत, माननीय वित्त मंत्री जी, उत्तराखंड :</u>

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड ने अपने संबोधन में कहा कि आज की बैठक में काफी सकारात्मक समीक्षा / चर्चा हुई तथा उनके द्वारा अपेक्षा की गयी कि सभी बैंक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आगे बढायें तथा वित्तीय साक्षरता बढाने का प्रयास करें। प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु बैंकों को निर्देशित किया। पर्यटन से सम्बन्धित गतिबिधियों को आम आदमी से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। विभाग द्वारा भी दीन दयाल उपाघ्याय होम स्टे एवं वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, ताकि आम आदमी इस योजना से लाभान्वित हो सके। साथ ही उन्होने रेखीय विभागों को निर्देश दिये कि Uttarakhand Investors' Summit में हस्ताक्षरित विभिन्न एमओयू की सूची सभी बैंकों को उपलब्ध कराएं एवं बैंकों से इनका वित्तपोषण कराने में समन्वय करें, जिससे राज्य के कृषक लाभान्वित होने के साथ-साथ राज्य की आर्थिकी में भी सुधार हो सके।

बैंक एवं रेखीय विभाग समन्वय स्थापित करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित वार्षिक ऋण योजना एवं अन्य ऋण योजनांतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।

बैठक के अंत में श्री अजीत सिंह ठाकुर, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन एवं उपस्थित राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों, बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये तथा मीडिया बंधुओं को बैठक की कार्यवाही की कवरेज करने पर धन्यवाद दिया।

****